

-महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर-

क्रमांक:- मु.म./नीलामी/13/2008-9/ 39531


दिनांक:- 03-10-19

:- नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किय जाता है कि महानिदेशालय कारागार घाटगेट, जयपुर में उपलब्ध निम्नांकित नाकारा सामान " जहाँ है, जैसा है " के आधार पर दिनांक 16-10-2019 को प्रातः 11.00 बजे निर्धारित समिति के समक्ष खुली द्वारा नीलाम किया जायेगा ।

सामान का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित क्रय मूल्य (रूपये में)	धरोहर राशि 2 %
लकड़ी/स्टील का फर्नीचर, लोहे का सामान, अलमारियाँ, आर.ओ. वाटरकूलर, बिजली का सामान, व वायर, स्केप लोहा, प्लास्टिक सामान, अखबार, मैगजीन कागज, रददी, खिडकियाँ, दरवाजे, इत्यादि	2,19,349/-	4350/-


नोट:- इच्छुक खरीददार नीलामी की शर्तें व सामान की विस्तृत सूची व स्थिति कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर देख सकते हैं ।


महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

—महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर—

— नीलामी की शर्तें—

1. सामान जहाँ जैसी स्थिति में है, नीलाम किया जाएगा ।
2. नीलामी से पूर्व सामान की विस्तृत सूची एवं सामान किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर देखी जा सकती हैं ।
3. बोलीदाता को बोली प्रारम्भ होने से पूर्व पुस्तक मूल्य राशि का 2% प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी ।
4. बोली छुटने पर देय राशि की 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करानी होगी । नाकारा सामान बोलीदाता को स्वयं के खर्चे से उठाना होगा ।
5. नीलामी उपरान्त समस्त कर (जी.एस.टी व अन्य कर इत्यादि) बोलीदाता नियमानुसार राज्य कर विभाग को जमा करवाकर चालान की प्रति व शेष 75 प्रतिशत राशि भी तीन दिवस में जमा करवाने की स्थिति में ही नाकारा सामान उठाने का गेट पास दिया जायेगा । अन्यथा पूर्व में जमा की गई राशि जब्त कर ली जावेगी ।
6. सामान पूर्ण राशि जमा होने के 48 घन्टे में उठाना होगा ।
7. उच्चतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने एवं अन्य सभी निर्णय नीलामी समिति में निहित होंगे ।


महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर